

पत्रसं.797-ई/पालिसी/2018/Award

अपर महाप्रबंधक/उ.म.रे./इलाहाबाद।

समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप म. प्र., उप म. प्र./सा.मु.प्रशा.अधि./नि.

मंडलरेलप्रबंधक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।

मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगनरिपेयर शॉप, झांसी।

मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेलस्प्रिगकारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।च

चेयरमैन, आरआरसी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

उप मु. सा. प्र./झांसी, उप मुख्य इंजी./सीपीओएच/इला., अधि.इंजी./सीएसपी/इला.।

प्रिन्सिपल-सुपरवाइजरसट्रेनिंगसेंटर, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, लोको, झांसी,

बेसिकट्रेनिंगसेंटर, सी एण्ड डब्ल्यू, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, वैगनवर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड

डब्ल्यू, ट्रेनिंगसेंटर, कानपुर, परमानेन्टवेट्रेनिंगसेंटरझांसी, ट्रान्सपोर्टेशन,

ट्रेनिंगसेंटरसूबेदारगंज, इला., इलैक्ट्रिकट्रेनिंगसेंटरकानपुर, मु.प्रा.अधि.,

आईआरपीएमयू/नईदिल्ली।

उप मु.इंजी./ब्रिज/लाईन/इला., झांसी, आगरा, उप मु.इंजी./टीएमसी/लाईन/झांसी।

व.स.वि.स./कैश एवंपे/उमरे, इला.।

Sub:-Accident Free Service Award to the employees retired after 01.01.2016

रेलवेबोर्ड के पत्र सं. 2018/Safety(DM)/18/2 दिनांक 28.11.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— यथोक्त।

(वी.पी. सिंह)

वरिष्ठकार्मिकअधिकारी/मुख्या.
कृतेमहाप्रबंधककार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/स्था., उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयरइन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक— एस.सी., एस.टी. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एनसीआरई एस, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एनसीआर एम यू, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
7. महामंत्री, एनसीआरपीओ ए, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

19/02/19

RBL-2018-2286

03.12.2018

19

22

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

No.2018/Safety(DM)/18/2

New Delhi, dtd. 28.11.2018

General Managers /NCR ✓
All Indian Railways

Sub: Accident Free Service Award to the employees retired after 01.01.2016.

The clarification sought by Northern Railway was considered and it has been decided by the Board that the Accident Free Service Award to the eligible safety category staff retiring after 01.01.2016 shall be paid as per the salary structure of 7th pay commission recommendation. However, no arrears shall be admissible for the staff for whom accident free service award is already disbursed.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

P. Srinivas
23/11
(P.Srinivas)

Director/Safety-III
Railway Board

This disposes GM/NR's letter No. E-62/5/Rly.Bd.Award/Policy/E-VI dtd. 04.09.2018

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
RB 30 NOV 2018
11
महाप्रबन्धक सचिव

30/11
30/11
P
AN
17/12/18

07.12.18 PCPO

10/12/18

प्र० मुकाधि०	✓
मुकाधि० (प्रशा०)	✓
मुकाधि० (आई० आर०)	
उप मुकाधि० (राज०)	
उप मुकाधि० (मुख्या०)	30/11
उप मुकाधि० (आई० आर०)	
अध्यक्ष/रे०म०प्र०	
प्र० का० अधि० (राज०)	
प्र० का० अधि० (आई० आर०)	
प्र० का० अधि० (मुख्या०)	✓
सकाधि० (आई० आर०)	
सकाधि० (मर्ती०)	
म० कार्या० अधि०/कार्या० अधि०	Policy